झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 02 / स्था॰(विविध)–96 / 2005..... / रॉची, दिनांक :..... /

–: आदेश :–

झारखण्ड सरकार, जल संसाधन विभाग, अभियंत्रण संवर्ग के अद्योलिखित पदाधिकारियों को प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यावसायिक परीक्षा–2021 में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र॰	पदाधिकारी का नाम / पदनाम / आई॰डी॰	वर्त्तमान पदस्थापन
1	*2*	*3*
1.	श्री केदारनाथ सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) / जे॰ 7743	जलपथ अवर प्रमंडल, हजारीबाग
2.	श्री कार्तिक चन्द्र माहली सहायक अभियंता (असैनिक) / जे॰सी॰ 0104	सिंचाई अवर प्रमंडल सं॰–01, मुसाबनी
3.	श्री केश्वर सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) / जे॰सी॰ 0115	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा

ह॰ / –
(**विकास कुमार**)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची / उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर / अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / संबंधित मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता / संबंधित पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
(**विकास कुमार**)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 676 रॉची, दिनांक :– 07/2/22

प्रतिलिपि:–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/02/22
(**विकास कुमार**)
सरकार के अवर सचिव।

7/2/22

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस–12–02 / 2019 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री सुधीर कुमार सिन्हा तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, चौसा के पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता की जाँच मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, बिहार, पटना से कराया गया। मंत्रिमंडल, निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक– 164 दिनांक– 03.05.1994 द्वारा श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता को निलंबित किया गया एवं संकल्प सं०– 2132 दिनांक– 21.07.1994 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1950 के नियम– 55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता के निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो जाने एवं निलंबन मुक्ति हेतु उनके अभ्यावेदन के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०– 62 सहपठित ज्ञापांक– 198 दिनांक– 23.01.1999 द्वारा उनको निलंबन मुक्त किया गया।

3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक– 02 दिनांक– 08.03.1995 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के स्तर पर किया गया। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त किया गया :–

(क) चौसा पम्प कैनाल के चेन सं०– 0.63 में बने आर०सी०सी० बौक्स टाईप कैनाल के कार्य में विशिष्टि की कमी पाया जाना।

तकनीकी परीक्षण कोषांग के जाँच ग्रुप सं०– 1, 2, 3, 4 एवं 5 के कार्य में सिमेन्ट की मात्रा कम पाया जाना यथा 1:2.7, 1:4, 1:3.3 (ग्रुप–I एवं II) 1:3.6, 1:3.8, 1:3.5 (ग्रुप–III) 1:3.2, 1:3.5, 1:2.7 (ग्रुप–IV एवं V)

(ख) ग्रुप नं०–4 एवं 5 का टेस्ट नहीं कराया गया था, बल्कि तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक 1080 दिनांक– 04.10.1996 से सम्पुष्ट कि 3 सैम्पूल ग्रुप–4 एवं 5 का था। अतः चौसा पम्प कैनाल जैसे भारी संरचनाओं के लिए सिमेंट की मात्रा का सही प्रयोग नहीं होना।

4. उक्त असहमति के बिन्दु के आलोक में श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्न प्रस्तावित दण्ड के साथ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 860 दिनांक– 23.07.2003 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया :–

(क) डिसमिसल (सेवा से बर्खास्त)

(ख) निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

5. श्री सिन्हा के द्वारा अपना द्वितीय कारण का जवाब देने हेतु उक्त असहमति के बिन्दु पर अपने संलिप्तता का साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया। इसी क्रम में आपका कैडर झारखण्ड राज्य आवंटित होने की स्थिति में बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग द्वारा मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

6. श्री सिन्हा के द्वारा इस मामले में माननीय न्यायालय में याचिका सं०– W.P(S) No.- 1890/ 2018, दायर किया गया। उक्त वाद में न्याय निर्णय दिनांक– 23.10.2018 पारित है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

....." 6.From The aforesaid relevant material facts culled out from the pleadings on record, it is evident that petitioner's pension, gratuity are not being finalized by the respondent Department for the reason that fate of the departmental proceeding initiated in the State of Bihar vide memo dated 03.05.1994 is not known to them. However, there is no reason why leave encashment has not been paid. In these circumstances, to meet the ends of justice, it seems appropriate to direct the newly added State of Bhiar through the Principal Secretary, Water Resources Department to supply all the relevant papers relating to the departmental proceeding initiated against the petitioner vide memo no. 03.05.1994 within a period of 6 weeks from the date of receipt of copy of this order. The competent authority under the respondent, Water Resources Department, Government Jharkhand would thereafter take a decision in the matter taking into account the outcome of the departmental proceeding as well within a period of 4 weeks. Let an affidavit be filed by the respondent State of Bihar on conclusion of the 6 weeks period showing compliance of the order in the present matter. The competent authority under the State of Jharkhand would in any case proceed to take a decision within time stipulated above. Admissible dues be released without any delay thereafter.

7.The writ petition is disposed of accordingly. I A. No. 6304 of 2018 also stands disposed of.

7. उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के पत्रांक– 2630 दिनांक– 21.12.2018 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधित कतिपय अभिलेख इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया एवं विभागीय पत्रांक– 2760 दिनांक– 24.05.2019 द्वारा बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग से मामले से संबंधित कुछ अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

8. समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री सिन्हा दिनांक– 31.12.2016 को सेवानिवृत हो गये हैं। फलस्वरूप आपके विरूद्ध जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०– 2132 दिनांक– 21.07.1994 द्वारा नियम–55 के तहत् संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं०–2761 दिनांक– 24.05.2019 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० में सम्परिवर्त्तित किया गया।

9. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 1208 दिनांक– 13.10.2020 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराया गया। बिहार सरकार जल संसाधन विभाग से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमति की बिन्दु से संबंधित साक्ष्य बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग द्वारा श्री सिन्हा को उपलब्ध करा दिया गया था।

10. सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमति के उपरोक्त बिन्दु के आलोक में श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्न दण्ड प्रस्ताव के सापेक्ष विभागीय पत्रांक– 2091 दिनांक– 31.03.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया :–

(i) पेंशन से 10% की कटौती अगले दस वर्ष के लिए।

(ii) निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

11. श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है एवं कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य का ही उल्लेख करते हुए अपने को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०– 4657 दिनांक– 16.09.2021 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) पेंशन से 10% की कटौती अगले दस वर्ष के लिए।

(ii) निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

12. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा पुनः विचारार्थ अभ्यावेदन दिनांक– 03.10.2021 विभाग में समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में समर्पित किया है। श्री सिन्हा द्वारा अपने अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता के पुनः विचारार्थ अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक ..... 667 ...../राँची, दिनांक ..... 07/2/22 .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक– 2630 दिनांक– 21.12.2018 के क्रम में /श्री सुधीर कुमार सिन्हा, सेवानिवृत सहायक अभियंता, ए०–32/38 कुसुमपुरम कॉलोनी, वार्ड– 37 पटना नहर के पश्चिम, दानापुर, पो०–दानापुर, कैन्ट– 801503, बिहार, पटना/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/22

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव